<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

दाण्डिक अपीलीय अधिकारिता

<u>दांडिक अपील सं. 257/2023</u>

(विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) सं. 8586/2017 से उद्भूत)

नईम अहमद .... अपीलार्थी

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) .... प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

<u>न्या., बेला एम. त्रिवेदी</u>

1. अनुमति प्रदानित।

2. अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा दायर अपील दांडिक अपील सं. 46/2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 30.09.2016 के निर्णय एवं आदेश, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपील का निपटान करते हुए सत्र वाद सं. 67/2015 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष फ़ास्ट ट्रैक न्यायालय, द्वारका न्यायालय, नई

दिल्ली (एतद्पश्चात सत्र न्यायालय) द्वारा पारित दिनांक 27.11.2015 के निर्णय एवं आदेश का उपांतरण किया, के विरुद्ध दायर की गई है।

3. सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत अपराधी मानते हुए उसे 10 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सज़ा सुनाई थी और ₹50000/- का जुर्माना लगाया था, जिसे न भरने पर उसे एक साल के कारावास की सज़ा और दी जाएगी। सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी को अभियोक्त्री को ₹500000/- का मुआवज़ा देने का निर्देश भी दिया जिससे वह अपना और अपने अव्यसक बच्चे का भरण पोषण कर सके। अपीलार्थी द्वारा दायर अपील में, उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश का उपांतरण करते हुए मुख्य दंडादेश को घटा कर 7 साल और जुर्माने को घटा कर ₹5000/- कर दिया और अभियोक्त्री को ₹500000/- का मुआवज़ा देने के निर्देश की पुष्टि की। यह निवेदन किया जाता है कि अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अभियोक्त्री को ₹500000/- मुआवज़े के रूप में दे दिए हैं।

4. अभियोजन पक्ष ने सत्र न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित वाद प्रस्तुत किया था: साल 2009 में अभियोक्त्री अपने पति और तीन बच्चों के साथ किराये के मकान- सी-1/3/5, संजय एन्क्लेव, उत्तम नगर, दिल्ली में रहती थी। अभियुक्त भी

अभियोक्त्री के सामने वाले किराये के मकान में रहता था। दिनांक 21.03.2015 को अभियोक्त्री ने अभियुक्त के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज करवाई जिसमें उसने अभियुक्त पर यह आरोप लगाया कि उसने उसके पति की अपर्याप्त आमदनी के बहाने उसे अपनी अच्छी नौकरी और अपनी हैसियत के हिसाब से रखने का वचन देकर फुसला लिया। अभियुक्त ने अभियोक्त्री से शादी (निकाह) करने का वचन भी दिया जिसके पश्चात वह अभियोक्त्री से नाजायज़ सम्बन्ध बनाने के लिए उसे अलग-अलग स्थानों पर बुलाने लगा जिसके परिणामस्वरूप अभियोक्त्री साल 2011 में गर्भवती हो गई। इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री ने अभियुक्त पर यह भी आरोप लगाया कि उसने उससे बच्चे के जन्म के बाद शादी करने का वचन भी दिया था और यह भी आश्वासन दिलाया था कि वह अविवाहित है और शादी के बाद उसे अपने पैतृक घर ले जाएगा। साल 2012 में अभियुक्त उसे फुसलाकर कपाशेरा बॉर्डर नाथू मल बिल्डिंग में एक और किराये के मकान में ले गया और वहां भी अभियोक्त्री के साथ नाजायज़ सम्बन्ध बनाए रखे। कुछ समय पश्चात, अपने माँ-बाप की झूठी बीमारी के कारण अपने पैतृक घर जाने के बहाने अभियुक्त ने कथित किराए के मकान को खाली कर दिया और अभियोक्त्री को अपने अवयस्क बच्चे, नमन के साथ एक आश्रय गृह में जा कर रहने को कहा। अभियुक्त ने अभियोक्त्री को अपने पति को तलाक देने के लिए भी मजबूर किया। अपनी शिकायत में

अभियोक्त्री ने यह भी आरोप लगाया कि अभियुक्त ने उसे अपने पैतृक घर जाने के बारे में झूठ बोला था और वह कहीं नहीं गया था। अभियोक्त्री को उसकी सच्चाई का पता तब लगा जब वह उस कॉल सेंटर गयी जहाँ अभियुक्त काम करता था। जब अभियोक्त्री ने अभियुक्त के कार्यालय में तमाशा किया तो उसने उससे जल्द शादी करने का आश्वासन दिया। साल 2012 में जब अभियोक्त्री अभियुक्त के पैतृक घर गई तो उसे पता चला के वह पहले से विवाहित है और उसके बच्चे भी हैं। अभियुक्त के माता-पिता ने अभियोक्त्री को स्वीकारने से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद भी अभियुक्त लगातार अभियोक्त्री से शादी करने का वचन देता रहा। परन्तु उसने ऐसा नहीं किया और उसके परिणामस्वरूप अभियोक्त्री ने शिकायत दर्ज करवा दी। दिनांक 21.03.2015 को कथित शिकायत प्राथमिकी सं. 412/2015 के रूप में थाना बिंदापुर, जिला दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में अभियुक्त के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत दर्ज हुई।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा ग्यारह गवाहों के परीक्षण के पश्चात अभियुक्त के समक्ष आपत्तिजनक साक्ष्य रखा गया और दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत स्पष्टीकरण माँगा गया। परन्तु अभियुक्त ने अपने ऊपर लगाए गए हर आरोप से इंकार करते हुए यह निवेदन किया कि अभियोक्त्री के साथ उसके सम्बन्ध आपसी सहमति पर आधारित थे और अभियोक्त्री जानती थी कि वह एक विवाहित व्यक्ति है और

उसके बच्चे भी हैं। वास्तव में, अभियोक्त्री उसके घर पर उसकी पत्नी से भी मिल चुकी थी। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त ने यह भी निवेदन किया कि वह अभियोक्त्री की नियमित रूप से आर्थिक सहायता कर रहा था और जब उसने अभियोक्त्री के ₹1.5- ₹2 लाख की मांग को पूरा करने से मना किया तो अभियोक्त्री ने उसके विरुद्ध एक झूठा मामला दर्ज करवा दिया। सत्र न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य की विवेचना के पश्चात अपीलार्थी-अभियुक्त को अपराधी ठहराते हुए उपरोक्त दंडादेश पारित किया।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित फाज़िल अधिवक्ता ने पुरज़ोर विरोध करते हुए यह निवेदन किया कि सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की विवेचना उचित दृष्टिकोण से नहीं की और अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत सज़ा सुना दी जिसके परिणामस्वरूप घोर अन्याय हुआ है। इस सम्बन्ध में, भा.दं.सं. की धारा 375 और सहपठित धारा 90 का संदर्भ लेते हुए, फाज़िल अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि अभियोक्त्री ने अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि 2009-2010 में उसने अपनी सहमति से अपीलार्थी के साथ यौन सम्बन्ध बनाए थे और यह सम्बन्ध 2011 में उसके बच्चे के जन्म के पश्चात 2015 में शिकायत दर्ज होने तक चलते रहे। अतः भा.दं.सं. की धारा 375 के द्वितीय खंड और सहपठित धारा 90 के अनुसार अपीलार्थी-अभियुक्त पर बलात्कार करने का आरोप किसी प्रकार

से सिद्ध नहीं होता है। फाज़िल अधिवक्ता के अनुसार, नवम्बर 2011 में अभियोक्त्री के बच्चे के जन्म और 2012 में अभियुक्त के पैतृक घर जाने के बावजूद मार्च 2015 में अभियोक्त्री द्वारा शिकायत दर्ज करवाना ही अभियोक्त्री के कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के गलत इरादों को दर्शाता है जिस कारण उसने पैसे वसूलने के उद्देश्य से अभियुक्त पर झूठे आरोप लगाए। इसके अतिरिक्त, फाज़िल अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत कहानी के अनुसार भी अपीलार्थी ने अपने सगी संतान की ज़िम्मेदारियों से मुँह नहीं मोड़ा और अभियोक्त्री ने अपने बच्चे के जन्म के पश्चात करीब चार साल तक अभियुक्त के साथ सम्बन्ध बनाये रखे और अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के पैसों की मांग को पूरा न करने पर ही अभियोक्त्री ने शिकायत दर्ज कराई। फाज़िल अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि यदि दो पक्षों के बीच का यौन सम्बन्ध आपसी सहमति से काफी लम्बे समय तक चलता है, वर्तमान मामले में करीब पांच साल तक, तो धारा 90 के अनुसार ऐसे सम्बन्ध का आधार 'तथ्य का भ्रम' नहीं माना जा सकता और भा.दं.सं. की धारा 375 के अंतर्गत 'बलात्कार' नहीं माना जा सकता है। अपने इस निवेदन के समर्थन में फाज़िल अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामलों में पारित निर्णयों पर निर्भरता जताई है: ***दीलिप सिंह*** @

दिलीप कुमार बनाम बिहार राज्य, प्रशांत भारती बनाम राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) और डॉ. ध्रुवाराम मुरलीधर सोनार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य ।

7. परन्तु, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित फाज़िल अधिवक्ता, श्री के.एल. जनजानि ने यह निवेदन किया कि चूँकि सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध जांच के दौरान मिले तथ्यों को अभिलेख पर रखते हुए उसे भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत दोषी ठहराया है, इस न्यायालय को उन निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, फाज़िल अधिवक्ता के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने हर संदेह से परे यह साबित कर दिया था कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने अभियोक्त्री को विवाह का झूठा वचन देकर उसके साथ यौन सम्बन्ध बनाने के लिए उसे फुसलाया था। परन्तु, अभियोक्त्री के बच्चे के जन्म के पश्चात उसने अपना वचन पूरा नहीं किया जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री की सहमति 'तथ्य के भ्रम' की सहायता से प्राप्त की थी।

8. चूँकि समन की तामीली के बावजूद अभियोक्त्री का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जा रहा था, न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री इंदिरा जैसिंग को न्याय मित्र के रूप में अभियोक्त्री की ओर से न्यायालय की सहायता के लिए नियुक्त किया जिन्होंने अपने लिखित निवेदनों के अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया कि 'बलात्कार' और 'आपसी सहमति से बनाए गए यौन संबंध' में स्पष्ट अंतर होता है

और न्यायालय को ध्यानपूर्वक इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या अभियुक्त ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से विवाह का झूठा वचन दिया था या यह मामला केवल अभियुक्त द्वारा वचन भंग करने का था। न्याय मित्र के अनुसार, निचली अदालतों ने अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सही विवेचन किया था और इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि अभियुक्त के साथ यौन सम्बन्ध के लिए अभियोक्त्री की सहमति भा.दं.सं. की धारा 90 के अंतर्गत 'तथ्य का भ्रम' है। अतः अभियोक्त्री का मामला भा.दं.सं. की धारा 375 के द्वितीय खंड के अंतर्गत आता है। सुश्री इंदिरा जैसिंग ने भी अपने निवेदनों के समर्थन में इस न्यायालय के कई निर्णयों पर निर्भरता जताई।

9. पक्षों के फाज़िल अधिवक्ताओं के निवेदनों की बेहतर विवेचना के लिए भा.दं.सं. की धारा 90 और धारा 375 में निम्नलिखित प्रासंगिक प्रावधान दिए गए हैं:

> "90. सम्मति, जिसके सम्बन्ध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है- कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आशयित है, यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षतिभय के अधीन, या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणामस्वरूप वह सम्मति दी गई थी; अथवा उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति- यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो चित्तविकृति या मत्तता के कारण उस बात की, जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है, प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो; अथवा शिशु की सम्मति- जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो बारह वर्ष से कम आयु का है।
>
> 375. बलात्संग- यदि कोई पुरुष,-

(क) किसी स्त्री की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है; या

(ख) किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है; या

(ग) किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है; या

(घ) किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा पर अपना मुंह लगाता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है,

उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने 'बलात्संग' किया है, जहाँ ऐसा निम्नलिखित सात भांति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है:-

पहला- उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध।

दूसरा- उस स्त्री की सम्मति के बिना।

तीसरा- उस स्त्री की सम्मति से, जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है।

चौथा- उस स्त्री की सम्मति से, जब कि वह पुरुष यह जनता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पांचवा- उस स्त्री की सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय, वह विकृतचित्तता या मत्ता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई मादक या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठवां- उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना, जब वह अठारह बर्ष से कम आयु की है।

सातवां- जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है।

स्पष्टीकरण 1- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "योनि" के अंतर्गत वृहत्त भगौष्ठ भी है।

स्पष्टीकरण 2- सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है, जब स्त्री शब्दों, संकेतों या किसी प्रकार के मौखिक या अमौखिक संसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है:

परन्तु ऐसी स्त्री के बारे में, जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सम्मति प्रदान की है।

अपवाद 1- किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या हस्तक्षेप को बलात्संग माना नहीं जाएगा।

अपवाद 2- किसी पुरुष की अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य, यदि पत्नी पंद्रह वर्ष से कम आयु की न हो, बलात्संग नहीं है।"

10. यहाँ यह ध्यान में रखना सार्थक होगा कि आपराधिक न्यायशास्त्र के मूलरूप सिद्धांतों के अनुसार अभियोजन पक्ष को अभियुक्त की दोषसिद्धि हर तर्कसम्मत संदेह से परे ठोस साक्ष्यों के आधार पर साबित करनी होती है। परन्तु, भारतीय समाज के लोकाचार, संस्कृति एवं 'बलात्कार' जैसे सामाजिक अपराध के बढ़ते ग्राफ को ध्यान में रखते हुए, न्यायालयों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114ए के अंतर्गत कानूनी उपधारणा बनाने की अनुमति दी गई है। धारा 114ए के अनुसार, बलात्कार से संबंधित कुछ मामलों में जहाँ सम्मति न हो वहां उपधारणा बनाई जा सकती है। कथित प्रावधान के अनुसार, यदि अभियुक्त द्वारा मैथुन का

कृत्य साबित होता है और जिस महिला का बलात्कार हुआ हो उसकी सम्मति पर सवाल हो और वह महिला न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कहती है कि उसने सम्मति नहीं दी तो न्यायालय उसकी बात को सत्य समझेगा।

11. इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सम्मति, जो कि क्षतिभय या तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई हो, जैसा कि भा.दं.सं. की धारा 90 में परिकल्पित किया गया है, भारतीय दंड संहिता की किसी भी धारा में आशयित सम्मति नहीं मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त, धारा 375 में कुछ कार्यों का वर्णन किया गया है जिनके अभियुक्त द्वारा उस धारा में उल्लिखित परिस्थितियों में किये जाने पर 'बलात्कार' का होना माना जाएगा, चाहे वह अभियोक्त्री की सहमति से ही क्यों न किया गया हो। हमारी राय में, जब अभियुक्त पर 'बलात्कार' का आरोप लगाया जाता है तो भा.दं.सं. की धारा 90 में निहित उक्ति- "तथ्य का भ्रम" पर भी भा.दं.सं. की धारा 375 में दिए गए खण्डों, विशेषतः खंड तीन, चार एवं पांच के आलोक में विवेचना होनी चाहिए। उपरोक्त तीन खंडों में वर्णित परिस्थितियां "तथ्य के भ्रम" की उक्ति से अधिक व्यापक हैं, जैसा कि भा.दं.सं. की धारा 90 में परिकल्पित है। धारा 375 में सात परिस्थितियां वर्णित हैं जिनके अंतर्गत "बलात्कार' का होना माना जाएगा। तीसरे खंड के अनुसार जब किसी स्त्री की सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति

के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई हो तब अभियोक्त्री की सम्मति के बावजूद 'बलात्कार' होना माना जाएगा। चौथे खंड के अनुसार, जब पुरुष यह जनता है कि वह अभियोक्त्री का पति नहीं है और अभियोक्त्री ने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने वाली है तो ऐसी सम्मति के बावजूद 'बलात्कार' का होना माना जाएगा। पांचवे खंड के अनुसार, जब सम्मति देते समय, अभियोक्त्री विकृतचित्तता या मत्ता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई मादक या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ हो तो ऐसी सम्मति के बावजूद 'बलात्कार' का होना माना जाएगा। अतः अभियोक्त्री की सम्मति धारा 90 में परिकल्पित 'तथ्य के भ्रम' के अंतर्गत दिए जाने के अतिरिक्त यदि उसकी सम्मति भा.दं.सं. की धारा 375 में वर्णित किसी परिस्थिति के अंतर्गत दी गयी है तो भी उसे 'सम्मति' नहीं माना जाएगा।

12. इस संबंध में विधि की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा पारित कई निर्णयों से प्रत्यक्ष है। परन्तु ऐसे कानून या ऐसे निर्णयों का क्रियान्वयन हर मामले के सिद्ध तथ्यों यानी कानूनी साक्ष्यों पर निर्भर करेगा। मामलों की विवेचना करते समय

न्यायालय के न्यायिक विचार को पिछले निर्णयों में दिए गए अनुपात या इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट की गई विधि द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त होता है। परन्तु विधि का क्रियान्वयन करते समय, न्यायालयों को अपने समक्ष रखे गए साक्ष्यों और जिन परिस्थितियों में अभियुक्त द्वारा कथित अपराध हुए हों, पर भी विचार करना होगा।

13. इस अपील में निर्णय पारित करने के लिए, इस न्यायालय द्वारा पारित कुछ ऐसे निर्णयों का संदर्भ लेना लाभदायक होगा जिनमें धारा 90 एवं 375 के संदर्भ में शब्द 'सम्मति' के विभिन्न आयाम एवं दृष्टिकोणों पर विचार किया गया हो।

14. ***उदय बनाम कर्नाटक राज्य*** मामले में 19 वर्षीय अभियोक्त्री ने अभियुक्त, जिससे वह बहुत प्यार करती थी, के साथ यौन सम्बन्ध बनाने की सहमति दी थी और अभियोजन पक्ष द्वारा यह निवेदन किया गया था कि अभियोक्त्री अभियुक्त से लगातार मिलती रही क्योंकि अभियुक्त ने उससे बाद में विवाह करने का वचन दिया था। अंततः अभियोक्त्री गर्भवती हो गई और जब अभियुक्त ने उससे शादी नहीं की तो शिकायत दर्ज कराई गई। इस न्यायालय ने यह मानते हुए कि इन परिस्थितियों में दी गई सम्मति को भा.दं.सं. की धारा 90 में निहित 'तथ्य के भ्रम' के अंतर्गत दिया जाना नहीं माना जा सकता, पैरा 21 एवं 23 में निम्नलिखित राय प्रस्तुत की:

> "21. ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायिक राय की सर्वसम्मति इस दृष्टिकोण के पक्ष में है कि अभियोक्त्री द्वारा अभियुक्त, जिससे वह बहुत प्यार करती हो

और जिसने उससे बाद में विवाह करने का वचन दिया हो, के साथ यौन सम्बन्ध बनाने हेतु दी गई सम्मति, तथ्य के भ्रम के अंतर्गत दी गई सम्मति नहीं मानी जा सकती। संहिता की परिभाषा में एक झूठा वचन तथ्य नहीं माना जा सकता और हम इस दृष्टिकोण से सहमत हैं। परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ऐसी कोई स्पष्ट विधि नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि अभियोक्त्री द्वारा यौन संबंध हेतु दी गई सम्मति स्वैच्छिक है या तथ्य के भ्रम के अंतर्गत दी गई है। अंतिम विश्लेषण में सम्मति के बिंदु पर विचार के दौरान न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण केवल न्यायिक विचार का मार्गदर्शन कर सकते हैं। परन्तु न्यायालय को हर मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व अपने समक्ष रखे गए साक्ष्य और मामले की परिस्थितियों का विवेचन करना अनिवार्य है क्योंकि हर मामले के अपने विशेष तथ्य होते हैं जिनका प्रभाव सम्मति के सवाल (यदि स्वैच्छिक या तथ्य के भ्रम के अंतर्गत) पर पड़ सकता है। न्यायालय द्वारा साक्ष्य का विवेचन इस तथ्य के आलोक में होना चाहिए कि अपराध के हर पहलू, जिसमें सम्मति का अभाव भी शामिल है, को सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष का है।

22. -xxxx- xxxx -

23. ऐसे मामलों में न्यायालय के अपेक्षित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, अब हमें अभिलेख पर रखे साक्ष्यों के विवेचन की ओर बढ़ना चाहिए। वर्तमान वाद में अभियोक्त्री विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक व्यसक महिला थी। अभियोक्त्री अपीलार्थी से बहुत प्यार करती थी। परन्तु वह इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत थी कि उनका विवाह अलग जाती से होने के कारण संभव नहीं था। किसी भी परिस्थिति में उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उनके विवाह के प्रस्ताव का पुरज़ोर विरोध अवश्यंभावी था। अभियोक्त्री ने इस तथ्य को माना भी है और यह भी बताया है कि जब अपीलार्थी ने पहली बार उसके सामने प्रस्ताव रखा था तब अभियोक्त्री ने अपीलार्थी को इस संभावना के बारे में अवगत कराया था। अभियोक्त्री के पास इस कृत्य, जिसके लिए उसने अपनी सम्मति दी थी, के महत्व और नैतिक गुणवत्ता को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि थी। इसी कारण उसने इस बात को तब तक गुप्त रखा जब तक वह रख सकती थी। इसके बावजूद, उसने अपीलार्थी के प्रस्ताव का प्रतिरोध करने के बजाय उसे स्वीकार कर लिया। अतः अभियोक्त्री के पास प्रतिरोध एवं सम्मति के बीच चुनने की सम्पूर्ण स्वतंत्रता थी। अभियोक्त्री इस कृत्य के परिणाम से अवश्य अवगत होगी विशेषतः तब जब वह जानती

थी की यह विवाह जाती भेद के कारण हो नहीं सकता था। यह सभी परिस्थितियां हमें इस निष्कर्ष की ओर ले जाती हैं कि अभियोक्त्री ने अपीलार्थी से यौन सम्बन्ध बनाने के लिए पूरी स्वतंत्रता, स्वेच्छा एवं जागरूकता से अपनी सम्मति दी थी और उसकी सम्मति किसी तथ्य के भ्रम के तहत नहीं दी गई थी।"

15. ***दीलिप सिंह @ दिलीप कुमार बनाम बिहार राज्य*** (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने अपने और दूसरे उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों पर चर्चा करते हुए ***उदय वाद*** *(उपरोक्त)* के निर्णय में दी गई टिप्पणियों की व्याख्या की और निम्नलिखित राय प्रस्तुत की:

"28. उपरोक्त दिए गए पाठ्यांश के पहले दो वाक्यों की व्याख्या करने की आवश्यकता है। हालांकि हम मानते हैं कि केवल विवाह का वचन धारा 90 के दायरे में "तथ्य का भ्रम" नहीं समझा जाएगा, परन्तु यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा केवल पीड़ित की सम्मति निकलवाने के लिए जानबूझकर दिया गया प्रस्ताव, जिसके पीछे न विवाह का इरादा हो और न ही इच्छा, दी गई सम्मति को निष्फल बना देता है। यदि तथ्यों के माध्यम से यह साबित हो जाता है कि वादे की शुरुआत से ही अभियुक्त पीड़ित से विवाह करने का इरादा नहीं रखता था और उसके द्वारा दिया गया वचन केवल छल था, तो पीड़ित द्वारा दी गई सम्मति अभियुक्त को धारा 375 के द्वितीय खंड के अनुसार दोषमुक्त सिद्ध करने के काम नहीं आएगी। इस बात पर कोलकाता उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने जयंती रानी पांडा [1984 क्री. एल.जे. 1535: (1983) 2 सी.एच.एन. 290 (कैल)] मामले में ज़ोर डाला था जिसे सही मानते हुए उदय वाद [(2003) 4 एस.सी.सी. 46 : 2003 एस.सी.सी. (क्री) 775 : (2003) 2 स्केल 329] में भी संदर्भित किया गया था। कोलकाता उच्च न्यायालय ने अंत में अपने पूर्व कथन को उचित रूप से परिमित करते हुए "जब तक कि न्यायालय को यह यक़ीन नहीं दिलाया जाता कि शुरुआत से ही अभियुक्त का इरादा पीड़ित से विवाह करने का नहीं था" (क्री एल.जे. पी. 1538, पैरा 7) की विशिष्टता पर ज़ोर दिया गया । अगले पैरा में, उच्च न्यायालय ने चांसरी न्यायालय के श्रेष्ठ निर्णय का सन्दर्भ लिया जिसमें यह निर्धारित किया गया

कि किसी विशिष्ट कृत्य के पीछे प्रत्यर्थी के इरादे का मिथ्या कथन तथ्य का मिथ्या कथन माना जाएगा जिस से छल साबित होता है। यह दृष्टिकोण मद्रास उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा जलाडु वाद [आई.एल.आर. (1913) 36 मैड 453 : 15 क्री एल.जे. 24] (उपरोक्त उद्धरित पाठ्यांश का सन्दर्भ लिया जाये) में भी स्पष्ट किया गया था। "संहिता की परिभाषा में एक झूठा वचन तथ्य नहीं माना जा सकता"- इस न्यायालय के इस एकमात्र अवलोकन के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि न्यायालय ने कानून में परिवर्तन कर दिया है। उपरोक्त वाक्य के अनुगामी अवलोकन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। न्यायालय ने सतर्कता के साथ अपने अवलोकन में यह विशिष्टता जोड़ दी थी कि जहाँ तक सम्मति के तथ्य के भ्रम के अंतर्गत दिए जाने का सवाल है, ऐसी कोई स्पष्ट विधि नहीं है जिससे यह स्थापित हो सके। उदय वाद [(2003) 4 एस.सी.सी. 46 : 2003 एस.सी.सी. (क्री) 775 : (2003) 2 स्केल 329] में पारित सम्पूर्ण निर्णय को पढ़ कर हमें ऐसा नहीं लगा कि न्यायालय ने सामान्यीकरण करते हुए यह कहा हो कि विवाह का वचन कभी तथ्य के भ्रम के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। हमारी राय में यह उस निर्णय का अनुपात नहीं है। वास्तव में, उस वाद में न्यायालय इस विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा था कि प्रारम्भ से अभियुक्त के विवाह के इरादे को खारिज नहीं किया जा सकता।"

16. ***दीपक गुलाटी बनाम हरयाणा राज्य*** मामले में, इस न्यायालय ने 'बलात्कार' एवं 'सम्मति से बनाये यौन सम्बन्ध' के बीच अंतर कर शब्द 'सम्मति' को एक और पहलू देते हुए निम्नलिखित अवलोकन किया:

"21. सम्मति स्पष्ट या निहित हो सकती है या मजबूरी या ग़लतफ़हमी में दी जा सकती है अथवा स्वेच्छा से या छल से प्राप्त की जा सकती है। सम्मति तर्क शक्ति के साथ साथ विवेचना से सम्बंधित है जहाँ दिमाग तराज़ू के दोनों तरफ अच्छाई और बुराई को तोलता है। बलात्कार और सम्मति से बनाए यौन संबंध के बीच स्पष्ट अंतर है और ऐसे मामलों में न्यायालय को

ध्यानपूर्वक जांच करनी होगी कि यदि अभियुक्त वास्तव में पीड़ित से विवाह करना चाहता था या उसके इरादे बुरे थे जिस कारण उसने केवल अपनी हवस को पूरा करने के लिए विवाह का झूठा वचन दिया था क्योंकि ऐसी परिस्थिति में धोखे या छल का मामला बनता है। वचन भंग करने में और झूठा वचन पूरा न करने में अंतर होता है। अतः न्यायालय को इस बात की जांच करनी होगी कि प्रारम्भ से ही अभियुक्त द्वारा विवाह का झूठा वचन दिया गया था या नहीं और दी गई सम्मति यौन सम्बन्ध की प्रकृति एवं परिणाम को पूरी तरह से समझने के पश्चात दी गई थी या नहीं। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहाँ अभियोक्त्री ने न केवल अभियुक्त के बहकावे में बल्कि प्यार और उत्तेजना में आकर अभियुक्त के साथ यौन सम्बन्ध बनाने की अनुमति दी हो या जहाँ अभियुक्त अभियोक्त्री से अनपेक्षित परिस्थितियों या अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण विवाह करने का इरादा होने के बावजूद विवाह करने में असमर्थ हो। ऐसे मामलों पर अलग तरह से विचार होना चाहिए। एक अभियुक्त को बलात्कार के लिए तब तक अपराधी नहीं ठहरना चाहिए जब तक न्यायालय इस निष्कर्ष पर ना पहुंचे कि अभियुक्त के इरादे बुरे थे और उसके इस कृत्य के पीछे गुप्त उद्देश्य थे।

22. xxxxx

23. xxxxx

24. अतः यह स्पष्ट है कि उचित समय यानी प्रारंभिक चरण से ही, अभियुक्त पीड़ित से विवाह करके अपने वचन को पूरा करने का कोई इरादा नहीं रखता था, इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए। बेशक कई ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियां भी हो सकती हैं जहाँ सच्चे इरादे के बावजूद एक व्यक्ति पीड़ित से विवाह करने में असमर्थ हो सकता है। "भविष्य की किसी अनिश्चित तिथि से संबंधित वचन को पूरा न करने की असमर्थता जिसका कारण उपलब्ध साक्ष्य से प्रत्यक्ष न हो ज़रूरी नहीं तथ्य के भ्रम के अंतर्गत आये। "तथ्य के भ्रम" की परिभाषा के अंतर्गत आने के लिए, तथ्य की तात्कालिक प्रासंगिकता होनी चाहिए।" ऐसे मामले में लड़की को पूरी तरह से दोषमुक्त करने और सम्पूर्ण आपराधिक दायित्व दूसरे इंसान पर डालने के लिए भा.दं.सं. की धारा 90 का सहारा तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि प्रारम्भ से ही अभियुक्त का इरादा पीड़ित से विवाह करने का नहीं था।"

17. इसके अतिरिक्त, ***डॉ. धुवाराम मुरलीधर सोनार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य*** (उपरोक्त) मामले में, धारा 90 एवं भा.दं.सं. की धारा 375 के द्वितीय खंड की व्याख्या करते हुए इस न्यायालय ने निम्नलिखित राय प्रस्तुत की:

“23. अतः बलात्कार और सम्मति से बनाए यौन संबंध के बीच स्पष्ट अंतर है और ऐसे मामलों में न्यायालय को ध्यानपूर्वक जांच करनी होगी कि यदि अभियुक्त वास्तव में पीड़ित से विवाह करना चाहता था या उसके इरादे बुरे थे जिस कारण उसने केवल अपनी हवस को पूरा करने के लिए विवाह का झूठा वचन दिया था क्योंकि ऐसी परिस्थिति में धोखे या छल का मामला बनता है। वचन भंग करने में और झूठा वचन पूरा न करने में भी अंतर होता है। यदि अभियुक्त ने अभियोक्त्री को बहका कर उससे यौन सम्बन्ध बनाने के एकमात्र इरादे से वचन नहीं दिया है तो उस पर बलात्कार करने का आरोप सिद्ध नहीं होता है। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहाँ अभियोक्त्री ने न केवल अभियुक्त के बहकावे में बल्कि प्यार और उत्तेजना में आकर अभियुक्त के साथ यौन सम्बन्ध बनाने की अनुमति दी हो या जहाँ अभियुक्त अभियोक्त्री से अनपेक्षित परिस्थितियों या अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण विवाह करने का इरादा होने के बावजूद विवाह करने में असमर्थ हो। ऐसे मामलों पर अलग तरह से विचार होना चाहिए। यदि अभियुक्त के इरादे बुरे थे और उसका उद्देश्य गुप्त था तो स्पष्ट रूप से बलात्कार का मामला बनता है। पक्षों के बीच सम्मति से बनाया गया

शारीरिक सम्बन्ध भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत अपराध नहीं माना जा सकता।"

18. अब, वर्तमान मामले में, वैधानिक प्रावधानों एवं इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में दी गई उन प्रावधानों की व्याख्या को देखते हुए, न्यायालय का रुझान अपीलार्थी-अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत दोषी ठहराने का हो सकता है जैसा कि सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। परन्तु अभिलेख पर रखे साक्ष्यों के ध्यानपूर्वक परीक्षण के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि निचली न्यायालयों से अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत दोषी ठहराने में त्रुटि हुई है।

19. पक्षों के फाज़िल अधिवक्ता(गण) द्वारा किये गए निवेदनों के आलोक में अभिलेख के विधिवत परीक्षण के पश्चात निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आये हैं:-

(i) अभियोक्त्री एक विवाहित महिला थी जिसके तीन बच्चे थे।

(ii) अभियुक्त अभियोक्त्री के घर के सामने वाले किराए के मकान में रहता था।

(iii) प्रारम्भिक हिचकिचाहट के पश्चात अभियोक्त्री अभियुक्त को पसंद करने लगी और दोनों का यौन सम्बन्ध शुरू हो गया।

(iv) 28.10.2011 को अभियोक्त्री ने अभियुक्त के बच्चे (लड़का) को जन्म दिया।

(v) 2012 में अभियोक्त्री अभियुक्त के पैतृक घर गई जहाँ उसे ज्ञात हुआ कि अभियुक्त विवाहित था और उसके बच्चे भी थे।

(vi) अभियोक्त्री इसके बावजूद अभियुक्त के साथ एक अलग मकान में रहती रही।

(vii) 2014 में अभियोक्त्री और उसके पति ने पारस्परिक सम्मति से तलाक ले लिया जिसके पश्चात अभियोक्त्री ने हमेशा के लिए अपने तीनों बच्चो को अपने पति के पास छोड़ दिया।

(viii) 21 मार्च 2015 को अभियोक्त्री ने अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई जिसमें उसने यह आरोप लगाया कि उसने यौन सम्बन्ध की सम्मति इसलिए दी थी क्योंकि अभियुक्त ने उससे विवाह करने का वचन दिया था परन्तु उसने वचन भंग कर दिया।

20. प्रत्यर्थी(गण) की ओर से उठाया गया मुख्य विवाद यह है कि अभियोक्त्री द्वारा दी गई यौन सम्बन्ध की सम्मति तथ्य के भ्रम के अंतर्गत दी गई थी क्योंकि अभियुक्त ने उससे विवाह करने का झूठा वचन दिया था परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। अतः ऐसी सम्मति कानून की दृष्टि में सम्मति नहीं मानी जा सकती और इसलिए यह वाद भा.दं.सं. की धारा 375 के द्वितीय खंड के अंतर्गत आता है। इस

सम्बन्ध में, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा झूठा वचन देने में और वचन भंग करने में अंतर होता है। झूठे वचन के मामलों में, अभियुक्त का शुरुआत से ही अभियोक्त्री से विवाह करने का कोई इरादा नहीं होगा एवं उसने केवल अपनी हवस को पूरा करने के इरादे से अभियोक्त्री को विवाह का झूठा वचन देकर धोखा और छल किया होगा। परन्तु वचन भंग के मामलों में, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री से विवाह करने का वचन पूरी गंभीरता से दिया होगा जिसके पश्चात उसके समक्ष कुछ अनपेक्षित या नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियां आ गई होंगी जिनके कारण वह अपना वचन पूरा करने में असमर्थ रहा होगा। अतः हर वचन भंग के मामले पर विवाह के झूठे वचन के मामले की तरह विचार कर किसी व्यक्ति को धारा 376 के अंतर्गत अपराधी ठहराना मूर्खता होगी। जैसा की पहले कहा गया है, हर मामला न्यायालय के समक्ष तथ्यों की सिद्धि पर निर्भर करेगा।

21. वर्तमान मामले में, यह नहीं माना जा सकता कि अभियोक्त्री, जो स्वयं एक विवाहित महिला थी जिसके तीन बच्चे थे, ने अपीलार्थी से यौन सम्बन्ध बनाने की सम्मति अपीलार्थी द्वारा दिए गए कथित झूठे वचन या तथ्य के भ्रम के अंतर्गत दी है। निसंदेह, अभियोक्त्री ने 2015 में शिकायत दर्ज कराने से पूर्व करीब पांच वर्षों तक अपीलार्थी से अपने संबंध बनाए रखे। यदि न्यायालय के समक्ष अभियोक्त्री

द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य में उल्लिखित आरोपों के प्रत्यक्ष मूल्यों को भी देखें तो भी ऐसे आरोपों से अपीलार्थी द्वारा 'बलात्कार' होने के निष्कर्ष पर पहुंचना इस मामले को असामान्य रूप से खींचना होगा। चूँकि अभियोक्त्री, एक विवाहित महिला थी जिसके तीन बच्चे थे, उसके पास उस कृत्य की नैतिकता या अनैतिकता एवं उसकी महत्वता और परिणाम को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्वता और बुद्धिमता थी जिसके लिए उसने अपनी सम्मति दी थी। इसके अतिरिक्त, यदि अभियुक्त के साथ अभियोक्त्री के रिश्ते के दौरान अभियोक्त्री के आचरण को ध्यानपूर्वक देखें तो यह मालूम होता है कि उसने अभियुक्त को पसंद कर उससे रिश्ता जोड़ कर अपने पति और तीन बच्चों को धोखा दिया था। अभियोक्त्री अपने विवाह के दौरान अपने पति को छोड़ कर अभियुक्त के साथ एक बेहतर जीवन बिताने के लिए चली गई थी। 2011 में अभियुक्त द्वारा गर्भवती होने एवं अभियुक्त के बालक को जन्म देने तक अभियोक्त्री को अभियुक्त से विवाह का झूठा वचन देने या धोखा देने की कोई शिकायत नहीं थी। 2012 में अभियोक्त्री अभियुक्त के पैतृक घर भी गई थी जहाँ उसे मालूम हुआ कि अभियुक्त एक विवाहित व्यक्ति है जिसके बच्चे भी हैं फिर भी वह एक दूसरे मकान में अभियुक्त के साथ बिना किसी शिकायत रहती रही। 2014 में अभियोक्त्री ने पारस्परिक सम्मति से अपने पति से तलाक भी लिया जिसके पश्चात उसने अपने तीनों बच्चों को अपने पति के पास ही छोड़ दिया।

अभियोक्त्री ने 2015 में वर्तमान शिकायत दर्ज कराई जिसका कारण आपसी मतभेद हो सकता है। दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत दिए अपने एक और ब्यान में अभियुक्त ने यह बताया है कि अभियोक्त्री ने यह शिकायत उसकी पैसों की भारी मांग पूरी न होने पर दर्ज कराई है। अतः इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और भा.दं.सं. की धारा 375 के अंतर्गत अपीलार्थी को बलात्कार का अपराधी ठहराने के लिए, यह कहना कि अभियोक्त्री ने अपीलार्थी के साथ यौन सम्बन्ध बनाने की सम्मति तथ्य के भ्रम के अंतर्गत दी थी, किसी भी तरह उचित नहीं होगा।

22. इस दृष्टिकोण से, अभियुक्त को उस पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त करना आवश्यक है। बेशक, निचली अदालतों द्वारा मुआवज़ा देने का निर्देश बदला नहीं जाएगा क्योंकि अपीलार्थी ने बच्चे की ज़िम्मेदारी स्वीकार की है और अभियोक्त्री को मुआवज़े का भुगतान भी किया है।

23. इस चरण पर, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियोक्त्री का अभिसाक्ष्य अंग्रेजी भाषा में दर्ज किया गया था जब कि उसने अपना ब्यान मातृभाषा में दिया था। इस सम्बन्ध में, दं.प्र.सं. की धारा 276 एवं 277 का सन्दर्भ लेना आवश्यक है जो कि निम्नलिखित है:

"276 (1) सत्र न्यायालय के समक्ष सभी विचारणों में प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य, जैसे जैसे उसकी परीक्षा होती जाती है, वैसे वैसे या तो स्वयं पीठासीन न्यायाधीश द्वारा लिखा जाएगा या खुले न्यायालय में उनके द्वारा बोलकर लिखवाया जाएगा या इस काम के लिए उनके द्वारा नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा उनके निदेशन और अधीक्षण में लिखा जाएगा। (2) ऐसा साक्ष्य आम तौर पर कथात्मक रूप में लिखा जाएगा किंतु पीठासीन न्यायाधीश स्वविवेकानुसार ऐसे साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्नोत्तर के रूप में लिख सकते हैं या लिखवा सकते हैं।] (3) ऐसे लिखे गए साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश हस्ताक्षर करेंगे और वह अभिलेख का भाग होगा।

277. साक्ष्य के अभिलेख की भाषा- प्रत्येक मामले में जहाँ साक्ष्य धारा 275 या धारा 276 के अधीन लिखा जाता है वहां-

(क) यदि साक्षी न्यायालय की भाषा में साक्ष्य देता है तो उसे उसी भाषा में लिखा जाएगा;

(ख) यदि वह किसी अन्य भाषा में साक्ष्य देता है तो उसे, यदि साध्य हो तो, उसी भाषा में लिखा जा सकेगा और यदि ऐसा करना साध्य न हो तो जैसे जैसे साक्षी की परीक्षा होती जाती है, वैसे वैसे साक्ष्य का न्यायालय की भाषा में सही अनुवाद तैयार किया जाएगा, उस पर मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह अभिलेख का भाग होगा;

(ग) उस दशा में जिसमें साक्ष्य खंड (ख) के अधीन न्यायालय की भाषा से भिन्न किसी भाषा में लिखा जाए, न्यायालय की भाषा में उसका सही अनुवाद यथासाध्य शीघ्र तैयार किया जाएगा, उस पर मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह अभिलेख का भाग होगा; परन्तु जब खंड (ख) के अधीन साक्ष्य अंग्रेजी में लिखा जाता है और न्यायालय की भाषा में उसके अनुवाद की किसी पक्षकार द्वारा अपेक्षा नहीं की जाती है तो न्यायालय ऐसे अनुवाद से अभिमुक्ति दे सकता है।"

24. हमें इस बात से अवगत कराया गया है कि कुछ विचारण न्यायालयों में साक्षियों के बयान उनकी भाषा में दर्ज नहीं किये जा रहे हैं और पीठासीन अधिकारी के अनुवाद अनुसार केवल अंग्रेजी भाषा में दर्ज किये जा रहे हैं। हमारी राय में, गवाह का साक्ष्य दं.प्र.सं. की धारा 277 के अनुसार न्यायालय की भाषा में

लिखा जाना चाहिए। यदि गवाह न्यायालय की भाषा में साक्ष्य देता है तो उसे उसी भाषा में लिखा जाना चाहिए। यदि वह किसी अन्य भाषा में साक्ष्य देता है तो उसे, यदि साध्य हो तो, उसी भाषा में लिखा जाएगा और यदि ऐसा करना साध्य न हो तो साक्ष्य का न्यायालय की भाषा में सही अनुवाद तैयार किया जाएगा। जब गवाह ने साक्ष्य अंग्रेजी में दिया हो और उसे उसी भाषा में लिखा गया हो और न्यायालय की भाषा में उसके अनुवाद की किसी पक्षकार द्वारा अपेक्षा न की गई हो तो न्यायालय ऐसे अनुवाद से अभिमुक्ति दे सकता है। यदि गवाह न्यायालय की भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में साक्ष्य देता है तो, जैसे ही साध्य हो, साक्ष्य का न्यायालय की भाषा में सही अनुवाद तैयार किया जाएगा।

25. गवाह का साक्ष्य न्यायालय की भाषा या गवाह की भाषा, जैसा साध्य हो, में लिखा जाएगा और फिर अभिलेख का भाग बनाने के लिए उसका अनुवाद न्यायालय की भाषा में कराया जाएगा। परन्तु, गवाह के साक्ष्य के केवल अंग्रेजी अनुवाद को अभिलेख पर रखना, जब कि गवाह ने न्यायालय की भाषा या अपनी मातृभाषा में साक्ष्य दिया हो, अनुज्ञेय नहीं है। साक्ष्य का सार और अर्थ और न्यायालय में गवाह का व्यवहार तब ही उचित तरीके से समझा जा सकता है जब साक्ष्य गवाह की भाषा में दर्ज किया गया हो। इसके अतिरिक्त, जब यह सवाल उठता है कि गवाह ने अपने साक्ष्य में वास्तव में क्या कहा, तब गवाह के मूल

अभिसाक्ष्य पर विचार किया जाता है न की पीठासीन न्यायाधीश द्वारा तैयार किया गए अंग्रेजी में अनुवादित ज्ञापन पर। अतः सभी न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि गवाहों के साक्ष्यों के अभिलेख के समय दं.प्र.सं. की धारा 277 में दिए गए प्रावधानों का विधिवत अनुपालन अवश्य किया जाए।

26. उपरोक्त उल्लिखित कारणवश उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों एवं आदेशों को अभियोक्त्री को दिए जाने वाले मुआवज़े के निर्देश के अपवाद के सिवा रद्द किया जाता है। अपीलार्थी-अभियुक्त को उस पर लगाए गए आरोपों से मुक्त किया जाता है और उसे तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए जाते हैं। तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

.....न्या.
(अजय रस्तोगी)

.....न्या.
(बेला एम. त्रिवेदी)

नई दिल्ली
30.01.2023

अस्वीकरण: देशी भाषा में आदेश/निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।